

प्रेषक,

जी० के० टण्डन,
राहत आयुक्त एवं सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
जालौन, झाँसी, ललितपुर हमीरपुर, महोबा,
बाँदा, चित्रकूट, एवं कानपुर नगर।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ दिनांक: 26 अप्रैल, 2008

विषय: प्रदेश के सूखाग्रस्त घोषित जनपदों में पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था हेतु जल निगम को धनावंटन।

महोदय,

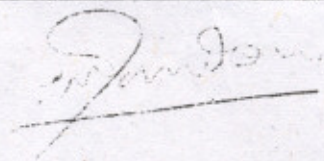
उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि की मुख्य अभियन्ता(नि०इ०), उत्तर प्रदेश जल निगम के पत्रांक:616/मु०अ०नि०ई० बा०(2062-0081) 08, दिनांक: 17-04-2008 द्वारा प्रदेश के सूखाग्रस्त घोषित जनपदों में तात्कालिक प्रकृति के अपरिहार्य पेयजल योजना हेतु उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के आधार पर रु० 12,35,86,000/- (रुपये बारह करोड़ पैंतीस लाख छियासी हजार मात्र) की धनराशि निम्नांकित मदों में आवंटित करने की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं:-

1. जनपद : जालौन

क्रमांक	मद का विवरण	मात्रा	आवंटित धनराशि (लाख रु० में)
1	हैण्डपम्प तथा नलकूप रिबोर	204	81.20
2	पेयजल हेतु टैंकर एवं टंकी का किराया	200	60.00
3	हैण्डपम्प में कॉलम पाइप बढ़ाना	560	12.50
	योग		153.70
	(रुपये एक करोड़ तिरपन लाख सत्तर हजार मात्र)		

2. जनपद : झाँसी

क्रमांक	मद का विवरण	मात्रा	आवंटित धनराशि (लाख रु० में)
1	हैण्डपम्प तथा नलकूप रिबोर	204	81.00
2	पेयजल हेतु टैंकर एवं टंकी का किराया	140	42.00
3	हैण्डपम्प में कॉलम पाइप बढ़ाना	500	12.50
	योग		135.50
	(रुपये एक करोड़ पैंतीस लाख पचास हजार मात्र)		



3. जनपद : ललितपुर

क्रमांक	मद का विवरण	मात्रा	आवंटित धनराशि (लाख रु० में)
1	हैण्डपम्प रिबोर	100	28.60
2	टंकी का किराया	100	7.00
3	हैण्डपम्प में कॉलम पाइप बढ़ाना	500	12.50
	योग		48.10
	(रुपये अड़तालिस लाख दस हजार मात्र)		

4. जनपद : हमीरपुर

क्रमांक	मद का विवरण	मात्रा	आवंटित धनराशि (लाख रु० में)
1	हैण्डपम्प रिबोर	200	55.60
2	नलकूप रिबोर	6	48.00
3	पेयजल हेतु टैंकर एवं टंकी का किराया	80	24.00
4	हैण्डपम्प में कॉलम पाइप बढ़ाना	500	12.50
	योग		140.10
	(रुपये एक करोड़ चालिस लाख दस हजार मात्र)		

5. जनपद : महोबा

क्रमांक	मद का विवरण	मात्रा	आवंटित धनराशि (लाख रु० में)
1	हैण्डपम्प रिबोर	100	33.40
2	पेयजल हेतु टैंकर एवं टंकी का किराया	120	36.00
3	हैण्डपम्प में कॉलम पाइप बढ़ाना	500	12.50
	योग		81.90
	(रुपये इक्यासी लाख नब्बे हजार मात्र)		

5. जनपद : बांदा

क्रमांक	मद का विवरण	मात्रा	आवंटित धनराशि (लाख रु० में)
1	हैण्डपम्प रिबोर	600	180.00
2	पेयजल हेतु टैंकर एवं टंकी का किराया	100	30.00
3	हैण्डपम्प में कॉलम पाइप बढ़ाना	663	33.20
	योग		243.20
	(रुपये दो करोड़ तैतालिस लाख बीस हजार मात्र)		

6. जनपद : चित्रकूट

क्रमांक	मद का विवरण	मात्रा	आवंटित धनराशि (लाख रु० में)
1	हैण्डपम्प रिबोर	100	38.20
2	पेयजल हेतु टंकी का किराया	50	3.50
3	हैण्डपम्प में कॉलम पाइप बढ़ाना	500	12.50
	योग		54.20
	(रुपये चौद्वन लाख बीस हजार मात्र)		

7. जनपद : कानपुर नगर

क्रमांक	मद का विवरण	मात्रा	आवंटित धनराशि (लाख रु० में)
1	हैण्डपम्प रिबोर	1035	296.01
2	ग्रामीण क्षेत्र में पाइप लाइनों की मरम्मत एवं जीर्णोद्धार	30.8 Km	74.41
3	ग्रामीण क्षेत्रों में पुराने पम्पों एवं विद्युत उपकरणों की मरम्मत	7	5.09
4	नलकूपों के कॉलम पाइप बढ़ाना	7	3.65
	योग		379.16
	(रुपये तीन करोड़ उन्नासी लाख सोलह हजार मात्र)		

2. उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या -51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत-आयोजनेत्तर-05-आपदा राहत निधि-800-अन्य व्यय-03- राष्ट्रीय आपदा निधि से व्यय -42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

3. आपदा राहत निधि की धनराशि से तात्कालिक प्रकृति के अपरिहार्य पेयजल योजना हेतु व्यय की जाने वाली धनराशि की सूची मा० जन प्रतिनिधियों को भी अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाय तथा इसके व्यय में पूर्ण पारदर्शिता रखी जाय।

4. मण्डलायुक्त तथा जिलाधिकारी अनिवार्य रूप से जाँच टीम गठित करेंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय की जाने वाली धनराशि आपदा राहत निधि की गाइड लाइन्स तथा मानक के अनुरूप हो। जाँच दल द्वारा निरीक्षण के दौरान पायी गई अनियमितताओं की पूर्ण सूचना/आख्या शासन को अनिवार्य रूप से 02 दिन में उपलब्ध करा दिया जाय।

5. उक्त मदवार स्वीकृत किये गये कार्यों में किसी प्रकार का विचलन गम्भीर अनियमितता माना जायेगा।

6. उक्त आवंटित धनराशि विभाग की माँग पर जिलाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित करते हुये आहरित की जायेगी कि आहरित की जाने वाली धनराशि का सम्पूर्ण उपभोग दिनांक 30 जून, 2008 तक अनिवार्य रूप से हो जाय।

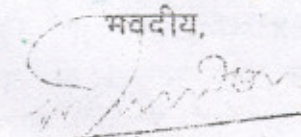
7. उक्त आवंटित धनराशि विभाग की माँग पर जिलाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित करते हुये आहरित की जायेगी कि आहरित की जाने वाली धनराशि का सम्पूर्ण उपभोग दिनांक 30 जून, 2008 तक अनिवार्य रूप से हो जाय।

8. आपदा राहत निधि की धनराशि शासनादेश संख्या- जी0आई0-134/1-11-2007-46/97 दिनांक 31 जुलाई, 2007 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों के अनुसार तत्काल व्यय की जायेगी। इस धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका एवं अन्य सुसंगत नियमों/शासकीय निर्देशों के अधीन किया जायेगा। इस धनराशि का उपयोग अन्य किसी भी विभागीय कार्य हेतु कदापि न किया जाय।

9. आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय। मदवार मासिक व्यय विवरण शासनादेश संख्या -1693/1-11-2005-रा0-11 दिनांक 20 जून, 2005 द्वारा प्रसारित प्रारूप पर अगले माह की 5 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट <http://rahat.up.nic.in> पर भी फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय। शासन द्वारा आवंटित धनराशि में से यदि बचतें सम्भावित हों तो उन्हें दिनांक 10 जुलाई, 2008 तक अनिवार्य रूप से शासन को समर्पित कर दिया जाय।

10. उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड -5 भाग -1 के प्रस्तर -389 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या 42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाय।

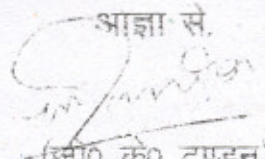
11. व्यय की धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाय और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीय,

(जी0 के0 टण्डन)
राहत आयुक्त एवं सचिव

संख्या : 2461(1)/1-10-2008-12(73)/2008 तददिनांक

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा)/महालेखाकार (ऑडिट प्रथम), उ०प्र० इलाहाबाद।
2. मण्डलायुक्त, झाँसी, चित्रकूटधाम एवं कानपुर।
3. आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद, उ०प्र० लखनऊ।
4. निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
5. कोषाधिकारी, जालौन, झाँसी, ललितपुर हमीरपुर, महोबा, बाँदा, चित्रकूट एवं कानपुर नगर।
6. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग -5।
7. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी/लेखाकार राजस्व अनुभाग-10/राजस्व अनुभाग - 6/11।
8. चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 की धनावंटन पत्रावली में रखने हेतु।
9. गार्ड बुक।

आज्ञा से.

(जी० के० टण्डन)
राहत आयुक्त एवं सचिव